ए.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. v.

एम. एस. मधुरी मारुति विधाते (विवाह के बाद एस. एम. टी.) मधुरी संतोश कोली) (2022 की सिविल अपील संख्या 6938)

बी.

30 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-विवाहित बेटी, यदि हकदार है-पिता की मृत्यु नौकरी में हुई-अनुकंपा के आधार पर नियुक्त मां की भी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई-बड़ी विवाहित बेटी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, खारिज कर दिया-इसके बाद, प्रत्यर्थी - कम उम्र की विवाहित बेटी का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया गया-न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी नियुक्त करने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आदेश-अपील पर कहा गयाःअनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम का एक अपवाद है-ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में अपास्त करना हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, मृतकों के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए नियमों में एक प्रावधान किया गया है जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है-प्रत्यर्थी को विवाहित बेटी होने के नाते मृत कर्मचारी पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है, यानी उसकी मां-अन्यथा भी, वह मृत कर्मचारी की मृत्यु के सात साल बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है-न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की-आदेश 14,16.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-उद्देश्य-आयोजितःअनुकंपापूर्ण रोजगार देने का उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है-उद्देश्य ऐसे परिवार को मृतक द्वारा धारण किए गए पद से बहुत कम पद देना नहीं है-वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-एक विवाहित बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करना उसके उद्देश्य के विपरीत होगा।

जी.

एच.

251 ए.

252 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

सेवा कानून-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, एक अपवाद-भारत का संविधान-कला।14, 16 – आयोजित किया गया:सभी सरकारी रिक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य यू/आर्ट्स के रूप में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।14 और 16-हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को दी गई अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों के लिए एक अपवाद है-अनुकंपा का आधार एक रियायत है न कि अधिकार।

बी.

कर्नाटक में कोषागार निदेशक और ए. एन. आर. वी.

वी. सोम्यश्री (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 704; राज्य

हिमाचल प्रदेश और एन**.** आर**.** वी**.**शशि कुमार **(2019) 3**

एससीसी **653:[2019] 2** एस**.** सी**.** आर**. 432-**निर्भर।

सी.

एन**.** सी**.** संतोष बनाम कर्नाटक राज्य **(2020) 7** एससीसी

617 :[2020] 3 एस. सी. आर. 1177; गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी. (2005) 10 एस. सी. सी. 289-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2020] 3 एससीआर **1177**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

डी.

[2019] 2 एससीआर **432**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6.1 (2005) 10** एस**.** सी**.** सी**. 289** पैरा **6.1** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6938।

ई.

2018 की रिट याचिका No.11614 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.01.2019 से।

सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य ए. पांडे, भरत बागला, सचिन पाटिल, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

राहुल त्रिवेदी, अशोक त्रिवेदी, ऋषभ मिश्रा, रियान भोला, श्रीमती प्रीति जिग्नेश जोशी, सुश्री प्रियंका सोनी, वैभव मिश्रा, प्रबोध कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

जी.

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की रिट याचिका संख्या 11614 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें प्रत्यर्थी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

एच.

253

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 कि प्रत्यर्थी के पिता अपीलार्थियों के साथ सेवारत लिपिक संवर्ग में थे।वह फांसी पर लटकते हुए मर गया।उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी, यानी प्रत्यर्थी की माँ को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। लेकिन, सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई।इसके बाद प्रत्यर्थी की बड़ी बहन श्रीमती संगीता एम. थोंगे ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।उक्त आवेदन को इस आधार

पर खारिज कर दिया गया था कि उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक विवाहित बेटी है।

बी.

सी.

2.2 कि इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 1 का एक सरकारी परिपत्र जारी किया, जिसके अनुसार अनुकंपा के आधार पर मृतक सरकारी कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों में से एक को रोजगार प्रदान किया जाना था।

डी.

2.3 कि इसके बाद प्रत्यर्थी , मृतक कर्मचारी की एक विवाहित बेटी-स्वर्गीय श्रीमती। लता मारुति विधाते ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी दूसरी विवाहित बेटी है और उसकी बड़ी विवाहित बहन द्वारा किया गया आवेदन वर्ष 2011 की शुरुआत में पहले ही खारिज कर दिया गया था।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी का आवेदन दिनांक 23.04.2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

ई.

2.4 प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन की अस्वीकृति के लगभग दो साल की अवधि के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष 2015 का ओ. ए. सं. 860 दायर किया।न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त ओ. ए. को अनुमति दी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील का विषय है।

एफ.

जी.

3. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वह हैः

क्या ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार होगा?

एच.

4. निर्विवाद तथ्य यह है कि मृतक कर्मचारी-प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु पर, जिनकी मृत्यु नौकरी में हुई थी, प्रत्यर्थी की मां को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी।प्रत्यर्थी की माँ की मृत्यु 28.03.2006 पर हुई।इसके बाद प्रत्यर्थी की बड़ी विवाहित बहन ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे वर्ष 2011 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक विवाहित बेटी होने के नाते, उसे अपनी मृत मां पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है।कि उसकी माँ की मृत्यु की तारीख से सात साल की अवधि के बाद, फिर से, प्रत्यर्थी छोटी विवाहित बेटी होने के नाते वर्ष 2013 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, पूछे गए प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है।

बी.

सी.

5. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करते समय, मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।हाल के फैसले में, इस न्यायालय ने कोषागार निदेशक के मामले में

डी.

कर्नाटक और अन्र। बनाम वी. सोम्यश्री, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 704,

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर विचार करने का अवसर मिला।इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने के बाद

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य, (2020) 7 एस. सी. सी. 617, यह न्यायालय

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः-

ई.

(i) कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है;

((ii) कि किसी भी उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है; (iii) राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए।

एफ.

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर की जा सकती है; (v) आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए।

जी.

एच.

255

महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएस. मधुरी मारुति विधाते (विवाह के बाद एस. एम. टी.)। मधुरी संतोश कोली) [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

ए.

6. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर निर्णयों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, सभी सरकारी रिक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों के लिए एक अपवाद है।अनुकंपा का आधार रियायत है, अधिकार नहीं।

बी.

6.1 हिमाचल प्रदेश और अन्न राज्य के मामले में। बनाम शशि कुमार ने (2019) 3 एस. सी. सी. 653 में रिपोर्ट की, इस न्यायालय ने एक

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने का अवसर

सी.

(2005) 10 एस. सी. सी. में दर्ज गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी. का मामला

289 , पैरा 21 और 26 में, इसे निम्नानुसार मनाया और माना गया हैः- “21. गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी., (2005) 10 एस. सी. सी. 289 में निर्णय पर बाद में कई निर्णयों में विचार किया गया है।लेकिन, उन निर्णयों का विज्ञापन करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रकृति पर इस न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138) मामले में विचार किया गया था।उमेश कुमार नागपाल [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138] में निर्धारित सिद्धांतों का बाद में इस न्यायालय में लगातार अनुसरण किया गया है।इन सिद्धांतों को निम्नलिखित उद्धरण में समाहित किया गया हैः(उमेश कुमार नागपाल मामला [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एससीसी 138], एससीसी पीपी. 139-40, पैरा 2)

डी.

ई.

“2. ... एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए।नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है।न तो सरकार और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं।ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में छोड़ देता है।

एफ.

जी.

एच.

आजीविका का कोई भी साधन।ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए।इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है।सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट होता है, कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार इस संकट को पूरा नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है। कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए अकेले उन्हें अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है।नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं

है।ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के ऐसे आश्रित के साथ दिए गए अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात निर्धनता के खिलाफ राहत।इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं।मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन पर विचार करना है, जो अचानक बदल जाते हैं।"26. मुमताज यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 384) मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को अपनाया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि ए. के परिवार को सक्षम करने का एक साधन है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

257

महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएस. मधुरी मारुति विधाते (विवाह के बाद एस. एम. टी.)। मधुरी संतोश कोली) [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

आकस्मिक वित्तीय संकट से उबरने के लिए मृतक।योजना में निहित प्रावधानों के आधार पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी., (2005) 10 एस. सी. सी. 289 में निर्णयः2005 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 590] पर विधिवत विचार किया गया है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले में इस न्यायालय के पहले के बाध्यकारी उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है।"

बी.

7. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और यह एक मृतक

के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर रहा है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ रहा है, और ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार, अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य ऐसे परिवार को मृतक द्वारा धारण किए गए पद से बहुत कम पद देना नहीं है।

सी.

डी.

7.1 मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना, प्रत्यर्थी को अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगा।प्रत्यर्थी को मृत कर्मचारी यानी उसकी माँ पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है।अन्यथा भी, वह मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कई वर्षों के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार नहीं होगी।8. ऊपर वर्णित मामले की परिस्थितियों और तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी नियुक्त करने का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिसमें अपीलार्थियों को कई वर्षों के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, अस्थिर है।

ई.

एफ.

जी.

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा ओ. ए. नं.

एच.

860 2015 का और उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।कोई लागत नहीं।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.